भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4770

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नये मेडिकल कॉलेज

4770. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चंपा, सक्ती, बलौदा बाजार और बिलाईगढ़ जिलों सहित देश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और स्नातकोत्तर कॉलेज खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में स्थापित नए मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि सीमित चिकित्सा सुविधाओं वाले जिलों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अभाव में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित कुल निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए ''मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'' के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधियन हिस्सेदारी कार्यतंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 05 मेडिकल कॉलेजों सहित सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। देश में अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों का चरण-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि करने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 131 पहले से ही कार्यशील हैं।

(ii) एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के संबंध में केंद्रीय प्रयोजित योजना, जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, 1498.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटों और 4478.25 करोड़ रुपये. की अनुमोदित लागत से 65 कॉलेजों में चरण-II में 4000 पीजी सीटों के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक ''सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन'' के तहत, कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(iv) नए एम्स की स्थापना की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में अंडरग्रेजुएट कोर्स शुरू हो चुके हैं।

(v) संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

(vi) मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों के लिए नियुक्ति/विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाहियों के रिकार्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 3,870.91 करोड़ रुपये; देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा करने के लिए एनएचएम के तहत स्वास्थ्य बुनियादी-ढांचे के एक हिस्से के रूप में भवन संबंधी बुनियादी-ढांचे के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4239.70 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4837.71 करोड़ रुपये के अनुमोदन प्रदान किए हैं।

******

दिनांक 28.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4770 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिले
चरण-I (58)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलागुन
3	असम	4	धुबरी, नगांव, उत्तरी लखीमपुर, दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ़	2	राजनंदगांव, सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर)
7	हरियाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका, हजारीबाग, पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	वेस्ट गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फल्कॉन
14	नागालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलनगीर, कोरापुट, पुरी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिले
16	पंजाब	1	एसएएस नगर
17	राजस्थान	7	बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर
18	उत्तर प्रदेश	5	बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)
चरण II (24)			
1	बिहार	5	सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा, चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना
4	ओडिशा	1	जाजपुर
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज), देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासात, उलुबेरिया, आरामबाग, झाड़ग्राम, तामलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिदुगुरल्ला, पदेरू, मछलीपत्तनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ़	3	कोरबा, महासमुंद, कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर, हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरी, चिक्काबल्लापुरा
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुर, सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिले
10	मणिपुर	1	चुराचांदपुर
11	नागालैंड	1	मोन
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला, होशियारपुर
14	राजस्थान	15	अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ़, हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी, अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर, नागपत्तिनम, अरियालुर, कल्लाकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

*****